न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर दौसा

पीठासीन अधिकारी : राजवीर सिंह चौधरी, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या : 22/2018 राजस्व अपील

1. भगवानसहाय
2. हरिसिंह

पि. गंगासहाय जाति गुर्जर निवासी ग्राम पीपलकी तहसील सिकराय उप तहसील सिकन्दरा जिला दौसा

अपीलान्ट्स

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये उप तहसीलदार सिकन्दरा जिला दौसा

रेस्पोडेन्ट

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

अपील विरूद्व निर्णय उप तहसीलदार सिकन्दरा दिनांक 26.09.2016
उनवानी प्रकरण सरकार बनाम भगवानसहाय मु.न. 788/2016
अन्तर्गत धारा 91 भू-राजस्व अधि.

उपस्थिति : श्री गोरधन गुर्जर अधिवक्ता अपीलान्ट्स उप0।
: श्री चन्द्रशेखर टापरिया राजकीय अधिवक्ता उप0।

-: निर्णय :-   दिनांकः 13.06.2018

संक्षिप्त में अपील के तथ्य इस प्रकार से है कि पटवारी हल्का पीपलकी द्वारा अपीलान्ट्स के विरूद्ध अधीनस्थ न्यायालय में एक रिपोर्ट इस आशय की पेश की कि अपीलान्ट्स ने ग्राम पीपलकी तहसील सिकराय मे स्थित भूमि खसरा नम्बर 325/41, 43/1 रकबा 06 बीघा किस्म चरागाह पर संवत 2073 में बाजरा, मक्का की काश्त कर अतिक्रमण कर लिया है तथा पश्चातवर्ती अतिक्रमी है। उक्त रिपोर्ट के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट्स अतिक्रमी के विरूद्ध भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत कार्यवाही कर अपीलान्ट्स अतिक्रमी को अतिक्रमित आराजी से बेदखल किये जाने एवं 50 गुणा शास्ति कायम करने के साथ ही 90 दिन के सिविल कारावास की सजा से भी दिनांक 26.09.2016 को दण्डित कर दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय के उक्त आदेश दिनांक 26.09.2016 से व्यथित होकर अपीलान्ट्स द्वारा यह अपील पेश की गई है।

अति0 जिला कलक्टर
दौसा

अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर कर तलबी रेस्पोडेन्ट की गई व अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख तलब कर बहस अधिवक्ता उभयपक्ष सुनी गई।

बहस के दौरान अधिवक्ता अपीलान्ट्स ने अपील के तथ्य दोहराते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय का प्रश्नगत निर्णय विधि विंरूद्ध एवं तथ्यो के विपरीत होने के कारण निरस्तनीय है। अपीलान्ट्स ने सरकारी भूमि पर कोई अतिक्रमण नहीं किया है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट्स को कोई सुनवाई व सबूत का मौका नही दिया ना ही पटवारी हल्का ने अपीलान्ट्स के समक्ष भूमि का मौका देखा ना मौका रिपोर्ट बनाई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पटवारी हल्का की झूंठी व बेबुनियाद रिपोर्ट को सही मानकर अपीलान्ट्स को प्रश्नगत आराजी भूमि पर अतिक्रमी मानते हुए दिनांक 26.09.2016 को निर्णय पारित कर दिया। अपीलान्ट्स पश्चातवर्ती अतिक्रमी भी साबित नहीं है। अधिवक्ता अपीलान्ट्स द्वारा निवेदन किया गया की अपीलान्ट्स का प्रश्नगत चरागाह भूमि पर अतिकमण नही है तथा भविष्य में राजकीय भूमि पर अतिकमण नही करने बाबत् शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया जावेगा। अतः अपील स्वीकार फरमाई जावे।

जवाब बहस के दौरान राजकीय अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अपीलान्ट्स अतिक्रमी द्वारा ग्राम पीपलकी तहसील सिकराय मे स्थित भूमि खसरा नम्बर 325/41, 43/1 रकबा 06 बीघा किस्म चरागाह पर संवत 2073 में बाजरा, मक्का की काश्त कर अतिक्रमण करने पर अपीलान्ट्स अतिक्रमी के विरूद्ध भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत कार्यवाही कर निर्णय दिनांक 26.09.2016 के द्वारा अपीलान्ट्स अतिक्रमी को अतिकमित आराजी से बेदखल करने एवं 50 गुणा शास्ति कायम करने के साथ ही 90 दिन का सिविल कारावास की सजा से दण्डित किया गया है।

हमने बहस अधिवक्ता उभयपक्ष पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली में प्राप्त अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन से यह तथ्य प्रमाणित है कि पटवारी हल्का की रिपोर्ट के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट्स के विरूद्ध भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत कार्यवाही कर उक्त प्रश्नगत निर्णय पारित किया गया है, किन्तु अधिवक्ता अपीलान्ट्स द्वारा बहस के

अति0 जिला कलक्टर
दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

दौरान निवेदन किया गया की अपीलान्ट्स का प्रश्नगत चरागाह भूमि पर अतिक्रमण नही है तथा भविष्य में राजकीय भूमि पर अतिक्रमण नही करने बाबत् शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया जावेगा। अतः अपील अपीलान्ट्स आंशिक रूप से स्वीकार किया जाना हम उचित समझते हैं।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट्स इस शर्त पर आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है कि अपीलान्ट्स द्वारा ग्राम पीपलकी तहसील सिकराय मे स्थित भूमि खसरा नम्बर 325/41, 43/1 रकबा 06 बीघा किस्म चरागाह पर से अतिक्रमण हटा लिया जाने एवं भविष्य में राजकीय भूमि पर अतिक्रमण नही करने बाबत् शपथ पत्र उप तहसीलदार सिकन्दरा के समक्ष प्रस्तुत करने एवं उप तहसीलदार सिकन्दरा द्वारा अतिक्रमण हटा लिया जाना सत्यापित किया जाने पर, अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 26.09.2016 में से सिविल कारावास की सजा स्थगित की जाकर शेष आदेश यथावत रखा जाता है। अन्यथा सिविल कारावास सहित अधीनस्थ न्यायालय का आदेश यथावत प्रभावी रहेगा। निर्णय की प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर प्रविष्ठ लेख भण्डार हो।

(राजवीर सिंह चौधरी)
अति0 जिला कलक्टर, दौसा

निर्णय आज दिनांक 13.06.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद मेरे हस्ताक्षर एवं इस न्यायालय की मुद्रा से खुले न्यायालय मे सुनाया गया ।

(राजवीर सिंह चौधरी)
अति0 जिला कलक्टर, दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official